दिनांक 20.02.2023
प्रेस विज्ञप्ति 21/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

स्टूडेंट पुलिस कैडेट (SPC) प्रोग्राम के परिपेक्ष्य में पुलिस मुख्यालय में किया गया प्रस्तुतिकरण

श्री देवेन्द्र सिंह चौहान, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 की अध्यक्षता में आज दिनॉकः 20.02.2023 को पुलिस मुख्यालय गोमतीनगर विस्तार में श्री हसमुख पटेल आई0पी0एस0 गुजरात कैडर द्वारा केरल मॉडल के तर्ज पर गुजरात में चलाये जा रहे स्टूडेंट पुलिस कैडेट(SPC) प्रोग्राम के परिपेक्ष्य में प्रस्तुतिकरण किया गया।

प्रस्तुति के माध्यम से उनके द्वारा निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर जानकारी दी गयीः–

- स्टूडेंट पुलिस कैडेट (SPC) प्रोग्राम, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना, आत्मविश्वास, नागरिक बोध, कानून के प्रति सम्मान, पुलिस के साथ कार्य करने, समाजिक बुराईयों के प्रतिरोध आदि को विकसित करना है।
- प्रोग्राम की संरचना, इन्डोर, आउटडोर ट्रेनिंग, कार्यान्वयन के लिये कदम, सफल क्रियान्वयन के लिये महत्वपूर्ण बिन्दु, स्टूडेंट/स्कूल व पुलिस पर प्रभाव आदि महत्वपूर्ण बिन्दुाओं पर जानकारी दी गयी।

डा0 संजय एम तरडे, पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण उ0प्र0 द्वारा स्टूडेंट पुलिस कैडेट(SPC) प्रोग्राम के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के नोडल अफसर के रूप में जानकारी दी गयीः–

- स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र–2022–23 में कुल–75 जनपदों के 2,512 विद्यालयों में 1,29,841 स्टूडेंटों को 75 मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षित करने की कार्यवाही की जा रही है।
- स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बजट का आवंटन कर वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये गये है।

- प्रमुख सचिव गृह, उत्तर प्रदेश शासन अध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा विभाग सदस्य व पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, राज्य नोडल अधिकारी के रूप में राज्यस्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है।
- कमिश्नरेट प्रयागराज, जनपद अयोध्या, मुजफ्फरनगर, जौनपुर, बागपत, हमीरपुर, सम्भल, अम्बेडकरनगर, कानपुर देहात, सीतापुर, गोण्डा व मथुरा द्वारा इस परिपेक्ष्य में बेहतर कार्य किया जा रहा है।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि शीघ्र ही उत्तर प्रदेश में सम्बन्धित अधिकारियों के साथ समीक्षा की जायेगी तथा स्टूडेंट पुलिस कैडेट(SPC) का अध्ययन कर अपेक्षित सुधार लाया जायेगा, जिससे उत्तर प्रदेश के नागरिकों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा श्री हसमुख पटेल, आई0पी0एस0 गुजरात कैडर को धन्यवाद देते हुये उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस का मोमेंटो भेंट किया गया।

इस अवसर पर पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया।

जनपद जौनपुर/थाना नेवढिया

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 लाख 50 हजार रूपये कीमत के लूट के सोने–चॉदी के आभूषण**
- **02 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि**
- **01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 20.02.2023 को थाना नेवढिया, मछलीशहर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सहजनी गॉव के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–मंगेश 2–राहुल घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 लाख 50 हजार रूपये कीमत के लूट के सोने–चॉदी के आभूषण, 02 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि, 01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 16.02.2023 को थाना नेवढिया क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नेवढिया पर धारा 394 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त मंगेश के विरूद्ध जनपद जौनपुर के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग, अभियुक्त राहुल के विरूद्ध जनपद जौनपुर के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नेवढिया पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मंगेश निवासी गणेशपुर थाना बरसठी जनपद जौनपुर।

2–राहुल निवासी महमदपुर थाना मडियाहूँ जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1–लगभग 01 लाख 50 हजार रूपये कीमत के लूट के सोने–चॉदी के आभूषण।

2–02 मोबाइल फोन।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

4–01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस।

5–01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बागपत/थाना कोतवाली बागपत

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 20.02.2023 को थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त बब्लू उर्फ विकास को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बागपत के थाना कोतवाली बागपत पर हत्या, लूट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बब्लू उर्फ विकास निवासी ग्राम पावला बेगमाबाद थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

जनपद सुल्तानपुर/थाना बल्दीराय

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 10 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 310 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

दिनॉकः 20.02.2023 को थाना बल्दीराय पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रैचा मोड़ से अभियुक्त विजेन्द्र कुमार उर्फ अतुल कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 10 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 310 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना बल्दीराय पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विजेन्द्र कुमार उर्फ अतुल कुमार निवासी ग्राम पूरे नरेश रैंचा थाना बल्दीराय जनपद सुल्तानपुर।

बरामदगी

1–लगभग 10 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 310 ग्राम अवैध स्मैक।

जनपद बाराबंकी/थाना सफदरगंज

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **425 ग्राम अवैध मारफीन बरामद**

दिनांक 20.02.2023 को थाना सफदरगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1–गौस मोहम्मद 2–धनीराम 3–नीरज कुमार उर्फ अजय कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 425 ग्राम अवैध मारफीन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सफदरगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–गौस मोहम्मद निवासी रसौली थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।

2–धनीराम निवासी औलिया लालपुर थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।

3–नीरज कुमार उर्फ अजय कुमार निवासी खानपुर इनायतुल्ला थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।

<u>बरामदगी</u>

1–425 ग्राम अवैध मारफीन।

- **<u>जनपद उन्नाव/थाना बांगरमऊ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 15 हजार रूपयेअर्थदण्ड)</u>**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एएसजे–10 पॉक्सो एक्ट जनपद उन्नाव द्वारा थाना बांगरमऊ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 366/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त उमेश को सश्रम आजीवन कारावास व 01 लाख 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद एटा/थाना नि0कला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एससी/एसटी एक्ट जनपद एटा द्वारा थाना नि0कला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि व 3(1)12 एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–राजू 2–सुघड को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 12 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद रायबरेली/थाना नसीराबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद रायबरेली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एएसजे पॉक्सो एक्ट तृतीय जनपद रायबरेली द्वारा थाना नसीराबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि व धारा 6 पॉक्सों एक्ट के अन्तर्गत दोष सिद्ध अभियुक्त शमशाद उर्फ बाबा को धारा 376 भादवि के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————————